न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 92/2020 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2020/ 00093)

बृजलाल पुत्र मोटाराम जाति कुम्हार निवासी बडोपल,तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पीलीबंगा।
2. शाखा प्रबन्धक बैक ऑफ इण्डिया शाखा बडोपल।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री बहादुर राम सुथार – अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री खुशाल चन्द जोशी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 30.06.2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के निर्णय दिनांक 13.02.2018 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर ग्राम बडोपल की जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 व खाता सं. 214 पर बृजलाल पुत्र मोटाराम कुम्हार साकिन बड़ोपल के नाम दर्ज खं. नं. 2681/1114 रकबा 6.325 है. भूमि शून्य होने के कारण निरस्तनीय है जिसे जमाबन्दी से विलोपित किया जाने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.02.2018 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त रकबा निरस्त कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ में अपील पेश की जो दिनांक 23.12.2019 को क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज की गई। उसके बाद अपीलान्ट ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे अपील पेश की जो दिनांक 14.08.2020 को संक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु लौटाई गई है। इसके बाद अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के निर्णय

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 13.02.2018 के विरूद्व इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि अपीलान्ट को ग्राम बडोपल के खसरा नं. 1106 की 20 बीधा भूमि दिनांक 30.08.1983 को टी.सी.पर आवंटित हुई, परन्तु पटवार हल्का ने अपीलान्ट को खसरा नं. 1114 की 20 बीधा भूमि का कब्जा संभलाया था। इसी अनुरूप अपीलान्ट का टी.सी. आवंटन पट्टा सं. 61 सम्वत 2043 मे नवीनीकरण के समय खसरा नं. 1106 की बजाय खसरा नं. 1114 मे 20 भूमि की दुरूस्ती की जाकर सम्वत 2043 का नवीनीकरण किया जाना स्वीकार किया जो प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा किया गया था, जिसे अनदेखा कर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अपीलान्ट का टी.सी आवटन से लेकर आज दिनांक तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। मौके पर ढाणी व ट्यूबवैल बना हुआ है जिस पर अपीलान्ट के नाम विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है। अपीलान्ट ने टी.सी आवंटन को पुख्ता करवाने के लिए परीक्षण न्यायालय को प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर परीक्षण न्यायालय ने तहसीलदार व संबधित पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गयी जिससे पटवार हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट मे स्पष्ट लिखा गया कि पट्टे में सम्वत 2042 में दुरूस्ती से उक्त रकबा 1114 में परिवर्तन किया गया। आवटन सलाहकार समिति ने अपने आदेश दिनांक 28.03.2008 को विवादित भूमि अपीलान्ट को कीमतन पुख्ता आवटन कर आवटन आदेश जारी किया गया। जिसकी पालना में अपीलान्ट ने समस्त राशि राजकोष मे जमा करवाने के उपरांत भूमि की खातेदारी सनद अपीलान्ट के पक्ष में जारी की। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने यह तथ्य भी उजागर किया था कि पटवार हल्का द्वारा अवैध रूप से राजस्व रिकॉर्ड में गलत प्रविष्टियो के फलस्वरूप पुलिस थाना पीलीबंगा मे एक अपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया गया, तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा जांच की गयी जिसमे पाया गया

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

(कम्प्यूटराईजेशन) के दौरान जमाबन्दी मे अपने स्तर पर बिना आधार के खाते कायम कर दिये गये जो किसी भी संक्षम अधिकारी के आदेश के बिना किये गये है। उक्त जमाबन्दी मे प्रविष्टी राजस्व अमला पटवार हल्का द्वारा की गयी है जिसकी एवज मे अपीलान्ट का आंवटित कब्जा काश्त व खातेदारी खसरान नं. 1114 की तादादी 20 बीधा भूमि खारिज /शून्य करने कानूनन भूल की है। आदेश जैर अपील खिलाफ कानून कायदा, प्राकृतिक न्याय एवं रूहेदाह मिसल के है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनाक 13.02.2018 निरस्त किया जावे। राजस्व रेकार्ड में आदेश खसरा दुरूस्ती उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा दिनांक 08.10.2018 के मुताबिक खसरा नं. 1106 की तादादी 20 बीधा की बजाय खसरा नं. 1114 की तादादी 20 बीधा बहाल रखते हुए पुनः राजस्व रिकार्ड मे अपीलान्ट के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. रेस्पोडेन्ट सं. 2 के विद्वान अभिभाषक ने बहस कें दौरान कहा कि अपीलान्ट ने स्वय अपनी अपनी मीमो के बिन्दु सं. 10 में अंकित किया है कि " रेस्पोडेन्ट सं. 2 वित्तीय संस्थान है, जिसके यहा वादगत भूमि रहन रखी हुई है, इस कारण पक्षकार बनाया गया है, इनके खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहा गया है। " उन्होने अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने पर (NO Objection) अनापत्ति किया।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के निर्णय दिनांक 13.02.2018 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अपीलाधीन निर्णय के अनुसार जमाबन्दी सम्वत् 2062 से 65 मे खं.नं. 2681/1114 की 6.325 हैक्टर भूमि बिना संक्षम अधिकारी के आदेश से अवैध रूप से सीधे ही कम्प्यूटराईजेशन के दौरान पटवारी से मिली भगत कर अंकित की गई है। इस संबध में FIR no. 184

अति संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 23.04.2016 दर्ज हुई तथा अति. जिला कलक्टर नोहर के द्वारा जांच मे इसे अवैध प्रविष्टी पाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के संमक्ष प्रस्तुत उक्त तथ्यो का कोई खण्डन अथवा साक्ष्य अपीलान्ट द्वारा अपील के स्तर पर प्रस्तुत नही किये गये है, ना ही FIR की वर्तमान स्थिती की रिपोर्ट भी प्रस्तुत नही हुई । ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के निर्णय में कोई हस्तक्षेप की आवश्यता नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

8. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 30.062023. को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।